ग़ैर-बैंकिंग वितीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना, 2018: मुख्य विशेषताएं


इस योजना में इनके ग्राहकों को शामिल किया गया है

जमा राशि लेने
वाले सभी
एनबीएफसी
इंट फंड तथा दिवालिया होने वाले एनबीएफसी)

ग्राहक निम्नलिखित आधार पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

- ब्याज / जमा का भ्गतान नहीं किया गया अथवा इनके भ्गतान में विलंब
- चेक नहीं दिया गया अथवा विलंब से दिया गया
- ऋण की स्वीकृत राशि, नियम एवं शर्तों, ब्याज की वार्षिक दर, आदि के बारे में नहीं बताया गया
- अन्बंध, आरोपित किए गए श्ल्क, इत्यादि में बदलाव की सूचना नहीं दी गई
- अनुबंध / ऋण समझौते में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफलता
- प्रतिभूतियां/ दस्तावेज़ों को जारी करने में विफलता / विलंब
- अनुबंध / ऋण समझौते में कानूनी रूप से लागू किए जाने योग्य पुनः अधिकार प्रदान करने में विफलता
- एनबीएफसी द्वारा आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया जाना
- निष्पक्ष आचरण संहिता के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाना

ग्राहक किस प्रकार शिकायत दर्ज कर सकता है?



- लोकपाल के समक्ष होने वाली कार्यवाही संक्षिप्त स्वरूप में होती है
- आपसी सुलह के माध्यम से समझौते को बढ़ावा देता है → ऐसा नहीं होने पर, फ़ैसला / आदेश जारी किया जा सकता है

अगर कोई ग्राहक लोकपाल के निर्णय से असंत्ष्ट हो, तो क्या वह अपील कर सकता है?

हाँ, यदि लोकपाल का निर्णय अपील-योग्य है → अपीलीय प्राधिकारी: उप-गवर्नर, आरबीआई

ध्यान दें:

- यह विवाद के निपटारे का एक वैकल्पिक तंत्र है
- ग्राहक किसी भी चरण में शिकायत के निवारण हेतु किसी अन्य अदालत / फोरम / प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है

योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी तथा नोडल अधिकारियों एवं लोकपाल के संपर्क विवरण के लिए, कृपया https://shapoorjipallonji.com/company/SPFinance पर जाएं।